मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास श्यामला हिल्स,भोपाल-462002
दूरभाष एवं फैक्सः 0755-2660461 **email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org**

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2026/260 दिनांक- 10.04.2026

सूचना

(सत्र 2026-27, 2027-28 एवं 2028-29 के शुल्क विनियमन के संबंध में)

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, म.प्र. की निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे **तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा** के अंतर्गत संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सत्र 2026-27, 2027-28 एवं 2028-29 के शुल्क निर्धारण हेतु ऑनलाईन माध्यम से आवेदन/प्रस्ताव दिनांक 31.03.2025 तक आमंत्रित किये गये थे। संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन माध्यम से आवेदन/प्रस्ताव में आडिटेड आय-व्यय पत्रक एवं बैलेंस शीट यूडिन आई.डी. सहित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त टीचिंग स्टाफ/नॉन टीचिंग स्टाफ की व्यक्तिगत जानकारी पोर्टल में उपलब्ध कराये गये सभी फार्म में प्रविष्टियां सही रूप से प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण संस्थाओं के शुल्क का विनियमन समिति द्वारा नहीं किया जा रहा है।

अतः **तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा** की समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 10.04.2026 से 30.04.2026 तक पोर्टल पुनः खोला जा रहा है। संस्थायें कृपया दिये गये निर्देशानुसार शुल्क विनियमन कराये जाने हेतु जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराते हुये पोर्टल को अंतिम रूप से **Declare** करना सुनिश्चित करें। किसी भी संस्था के शुल्क का विनियमन प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि संस्था उपरोक्त जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं करायेगा।

(ए.के.दीक्षित)
प्र.प्रशासनिक अधिकारी